भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1861
बुधवार, 10 मार्च, 2021/19 फाल्गुन, 1942 (शक)

कृषि और पर्यटन क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर

1861# श्री हरनाथ सिंह यादवः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा कृषि और पर्यटन आधारित उद्योगों में रोज़गार के अवसरों का सृजन करने हेतु कोई कार्ययोजना तैयार की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**;** और

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान कृषि और पर्यटन आधारित उद्योगों में बेरोज़गार युवाओं को प्रदान किए गए रोज़गार का राज्य-वार ब्यौरा क्या है**?**

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ख): सरकार विभिन्न केंद्र प्रायोजित एवं केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के माध्यम से कृषि क्षेत्र के विकास एवं प्रगति की सहायता करती है एवं सुगम बनाती है। सभी योजनाएं किसानों को लाभान्वित करने तथा कृषि आधारित रोजगार को प्रोत्साहन द्वारा उनके आजीविका अवसरों को बढ़ाने हेतु लक्षित हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) (i) मेगा फूड़ पार्क; (ii) एकीकृत कोल्ड़ श्रृंखला एवं मूल्य संवर्द्धन अवसंरचना; (iii) खाद्य प्रसंस्करण एवं संरक्षण क्षमताओं का सृजन/विस्तार; (iv) कृषि-प्रसंस्करण समूहों हेतु अवसंरचना; (v) पिछड़े एवं अगड़े लिंकेज का सृजन (vi) खाद्य सुरक्षा एवं गुणवता आश्वासन अवसंरचना; (vii) मानव संसाधन एवं संस्थान; (viii) संचालन हरियाली जैसी घटक योजनाओं के साथ प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) का कार्यान्वयन कर रहा है।

सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन हेतु वित्तीय, तकनीकी एवं व्यापारिक सहायता प्रदान कराने हेतु आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंग के रूप में एमओएफपीआई ने "पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (पीएमएफएमई) योजना का औपचारिकरण" नामक एक अखिल भारतीय केंद्र प्रायोजित योजना प्रारंभ की है। 10,000 करोड़ रु. के परिव्यय के साथ योजना क्रेडिट संवंद्ध राज-सहायता के साथ दो लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की सीधे ही सहायता का लक्ष्य रखती है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत नवप्रवर्तन एवं कृषि-उद्यमशीलता-कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्र में स्टार्ट-अप्स के संवर्द्धन द्वारा रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र जीर्णोद्धार हेतु लाभकारी दृष्टिकोण (आरकेवीवाई-रफ्तार) नामक एक नया घटक प्रारंभ किया है।

सरकार लघु किसान कृषि व्यापार सहायता-संघ (एसएफएसी) के माध्यम से उद्यम पूंजीगत सहायता (वीसीए) योजना के माध्यम से कृषि-आधारित व्यापार का भी संवर्द्धन कर रही है। योजना के तहत ब्याज-मुक्त ऋण के रूप में संवर्द्धक की इक्विटी का 26% तक अथवा कृषि उद्यमी को 50.00 लाख रु. जो 500.00 लाख रु. तक की परियोजनाओं, जो भी कम हो, सहायता का विस्तार किया है।

पर्यटन मंत्रालन ने देश में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वर्षों में अनेक कदम उठाए हैं तथा फलस्वरूप रोजगार अवसर सृजित किए हैं जैसे विषय आधारित पर्यटक सर्किट विकसित करने के उद्देश्य से स्वदेश दर्शन योजना, तीर्थस्थान एवं आध्यात्मिक जीर्णोद्धार पर राष्ट्रीय मिशन, अभिचिन्हित तीर्थस्थान गंतव्य स्थान के संर्वागीण विकास हेतु धरोहर वृद्धि मुहिम (प्रसाद) योजना। धरोहर स्थलों/स्मारकों एवं अन्य पर्यटक स्थलों पर पर्यटक सुविधाओं का विकास एवं अनुरक्षण तथा अतुल्य भारत पर्यटक सुकर कार्यक्रम, आदि।

कृषि एवं पर्यटन पर आधारित उद्योगों में बेरोजगार युवाओं को प्रदान किए गए रोजगार का ब्यौरा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। तथापि, संदर्भ वर्ष 2015-16 (सीएसओ के आधार वर्ष 2011-12 के साथ राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के आंकड़े प्रयोग करते हुए) हेतु सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के क्षेत्रीय पर्यटन सैटेलाइट लेखा (टीएसए) के परिणामों के अनुसार तथा उत्तरवर्त्ती अनुमान, 2016-17, 2017-18, 2018-19 के दौरान देश में कुल रोजगार में पर्यटन रोजगार का अंशदान क्रमशः 12.20%, 12.13%, 12.75% था।

*****